



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 20 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2521/9-1-2020-18 टी०ए०-19

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-476

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत ओबरा, जिला सोनभद्र के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या 2380/9-1-2019-18 टी०ए०-19, दिनांक 15 दिसम्बर, 2019 जारी की गयी थी और तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2197/एल०एस०जी०(ए)-42एनए-65, दिनांक 21 अप्रैल, 1966 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत ओबरा, जिला सोनभद्र के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

**अनुसूची**  
**नगर पंचायत ओबरा, जिला सोनभद्र में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र**

क्र० सं०	ग्राम का नाम	दिशा	गाटा संख्याएँ
1	2	3	4
1	बिल्ली-मरकुण्डी	उत्तर	2148 सड़क, 4722 की पूर्वी सीमा, 5733 सड़क, 4739 नाला, 5626 नाला, 4732 नाला, 5575 नाला, 4832 नाला, 5564 नाला (कुल गाटा संख्या-09)
		दक्षिण	2832 रेलवे, 2426 का उत्तरी भाग, 2488 में अल्ट्राटेक की बाउण्ड्री तक, 2608 रेलवे, 2339 अल्ट्राटेक की बाउण्ड्री तक, 2334 (कुल गाटा संख्या-06)
		पूरब	4493 सड़क से दक्षिण, 4426 सड़क से दक्षिण, 4335 रेलवे स्टेशन, 4336 रेलवे (कुल गाटा संख्या-04)
		पश्चिम	रेणुका नदी

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

-----

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2521/IX-1-2020-18T.A.-19, dated December 20, 2020:

No. 2521/IX-1-2020-18T.A.-19

*Dated Lucknow, December 20, 2020*

WHEREAS notification no. 2380/IX-1-2019-18T.A.-19, dated December 15, 2019 was issued and published in the *Gazette* on the same date with a view to inviting objections and suggestions from general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Obra in district Sonbhadra as required by section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916);

AND, WHEREAS, no objection or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), and in partial modification of notification no. 2197/LSG(A)-42NA-65, dated April 21, 1966 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to include the areas specified in Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Obra in district Sonbhadra, for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

**SCHEDULE**

**Area being included in Nagar Panchayat Obra in district Sonbhadra**

Sl. No.	Name of Village	Direction	Gata No.
1	2	3	4
1	Bille-Markundi	North	2148 Road, East boundary of 4722, 5733 Road, 4739 Sewer, 5626 Road, 4732 Sewer, 5575 Road, 4832 Sewer, 5564 Road (Total 09 Gatas)

Sl. No.	Name of Village	Direction	Gata No.
1	2	3	4
		South	2832 Railway, North Part of 2426, In 2488 up to Ultratech boundary, 2608 Railway, 2339 to Ultratech boundary, 2334 (Total 06 Gatas)
		East	4483 Road to South, 4426 Road to South, 4335 Railway Station, 4336 Railway (Total 04 Gatas)
		West	Renuka River

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*